

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 82/2018

उनवानी :-रोशनलाल बनाम नरोत्तमलाल व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
16.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 82/2018 उनवानी रोशनलाल बनाम नरोत्तमलाल व अन्य दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>